संख्याःशिक्षा–यू(जी–3) विविध / 2018– 3593
कार्यालय
उप शिक्षा निदेशक, उच्चतर
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)
दिनांकः ऊना–174303, 2.5.अप्रैल.2018

सेवा मे

समस्त ,प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक
सरकारी एवं प्राइवेट पाठशालाएं

विषयः **स्कूली बच्चो की सुरक्षा सम्बन्धी 1**

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के बारे मे उपायुक्त ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) के पृष्ठाकन सख्याः 4449–54 एम–एमसी–1 दिनांक 20.4.2018 द्वारा मद :1 से लेकर 5 तक की छायाप्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई है जिसकी छायाप्रति भेजकर निर्देश दिये जाते है कि आप इसके बारे में **नवीनतम रिर्पोट** तैयार करके दो प्रतिया में विशेष सन्देश वाहक द्वारा उपलव्ध करवाये 1 ताकि समय पर समेकित करके रिर्पोट उपायुक्त ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) को भेजी जा सके 1 देरी के लिए आप स्वंय उत्तरदायी होगें1

सलग्न दो

Sd/-
उप शिक्षा निदेशक,उच्चतर
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

पृष्ठांकन संख्याःसम दिनांकः ऊना–174303, 2018

प्रतिलिपिः–

1.मननीय सचिव शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला –2 को सूचना हेतु है 1

2.शिक्षा निदेशक(उच्चतर) हिमाचल प्रदेश शिमला को छायाप्रति भेजकर पुन अनुरोध किया जाता है कि **रा0व0मा0पा0 बदसेहडा के दो कमरे ,रा0कन्या व0मा0पा0 सन्तोषगढ के चार कमरे और चारदीवारी, रा0उ0पा0 रायेपुर सहोडा,** की चारदीवारी के लिए अतिशीघ्र बजट स्वीकृत करने की अनुकम्पा करे 1

3.उपायुक्त ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) को छायाप्रति भेजकर पुन अनुरोध किया जाता है 1कि **रा0व0मा0पा0 जोह चार कमरे और रा0व0मापा0 बदौली के चार शैचालय** की अनुमति प्रदान करने की अनुकम्पा करे 1

4.अधिशाषी अभियन्ता,मण्डल ऊना हि0प्र0 लोक निर्माण ऊना को छायाप्रति भेजकर पुन अनुरोध किया जाता है 1कि **रा0व0मा0पा0 के पाच कमरे हरोली, दुलैहड की विल्डिग, रा0उ0पा0 अजौली के चार कमरे निर्माण कार्य अतिशीध्र शुरू करने और रा0व0मा0 पा0 कुगडत के दो कमरे रा0व0मा0पा0 सनोली के तीन कमरे रा0व0मा0पा0खडड का एक कमरा रा0व0मा0पा0 बाल ऊना, स्कूल विल्डिग के स्थान पर नेय कमरो प्राक्कलन और रा0व0मा0पा0 बाल ऊना, की साईस लैव की सर्वे रिर्पोट उपलव्ध करवाने की अनुकम्पा करे 1**

5.अधिशाषी अभियन्ता ,मण्डल बगाणा हि0प्र0लोक निर्माण बगाणा को छायाप्रति भेजकर पुन अनुरोध किया जाता है 1कि **रा0व0मा0पा0चलोला के चार कमरे, रा0व0मा0पा0थानाकलां के तीन कमरे ,रा0व0मा0पा0 बौल का एक कमरे के स्थान पर नेय कमरो प्राक्कलन के उपलव्ध करवाने की अनुकम्पा करे 1**

6.अधिशाषी अभियन्ता ,मण्डल भरवाइ हि0प्र0लोक निर्माण बगाणा को छायाप्रति भेजकर पुन अनुरोध किया जाता है 1कि **रा0व0मा0पा0मुबारिकपुर दो कमरो का प्राक्कलन रा0व0मा0पा0जोह के तीन रा0व0मा0पा0घनारी छःकमरो रा0व0मा0पा0पिरथीपुर के दो कमरो के स्थान पर नेय कमरो के प्राक्कलन उपलव्ध करवाने की अनुकम्पा करे 1**

7.उप मण्डल अधिकारी नागरिक अम्व को छायाप्रति भेजकर पुन अनुरोध किया जाता है 1कि **रा0व0मा0पा0 अम्ब ,धुसाडा, भद्रकाली, सूरी के पुराने कमरो का निरीक्षण करने के लिए दिनांक उपलव्ध करवाने की अनुकम्पा करे**

8.सम्बन्धित प्रधनाचार्य / मुख्याध्यापक को मागं की छायाप्रति भेजकर पुन निर्देश दिये जाते है कि आप सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करके **पाठशाला के पुराने कमरो की सर्वे रिर्पोट, निरीक्षण हेतु दिनांक , प्राक्कलन और मद 1से 5 तक** रिर्पोट उपलव्ध करवाये 1ताकि समय पर समेकित करके रिर्पोट उपायुक्त ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) को भेजी जा सके 1 देरी के लिए आप स्वंय उत्तरदायी होगें1

उप शिक्षा निदेशक,उच्चतर
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

संख्याः ई०डी०एन०-सी-ए०(1)2/2018
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिक्षा विभाग

सेवा में,

1 समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश।

2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
हिमाचल प्रदेश।

3 निदेशक,
शिक्षा, हिमाचल प्रदेश,शिमला--171001

4 निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश,शिमला--171001

दिनांकः शिमला--2 10, अप्रैल,2018

विषयः स्कूली बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी।

महोदय,

वर्तमान शिक्षा सत्र को आरम्भ हुए थोड़ा ही समय हुआ है परन्तु स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़े बहुत सारे मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। सुरक्षा सम्बन्धी सभी पहलुओं पर राज्य सरकार समय--2 पर दिशा--निर्देश जारी करती रहती है, फिर भी निम्न बिन्दुओं पर आपका ध्यान दिलाया जाता है:--

1. सरकारी स्कूलों के भवनों सम्बन्धी मुद्दे।

i) कुछ भवनों की स्थिति सही नहीं है उन्हें असुरक्षित (unsafe) घोषित करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था में सहायता दें।

ii) भवनों के चारो ओर दीवार लगवाने की प्रकिया विभाग ने शुरू कर रखी है जहां पर कोई कमी रह गई है उसमें आप का सहयोग अपेक्षित है।

iii) बिना अवरोध के शिक्षा के लिए स्कूलों में ramp की व्यवस्था की गई है कृपया यह भी सुनिश्चित करवा लें कि यह पूरी तरह से निरापद है।

2. स्कूलों के भवनों के समीप शराब ठेके या किसी भी अन्य प्रकार से नशीले पदार्थ इत्यादि पर भी चौकसी अनिवार्य है।

3. छुआछूत जैसी छुटपुट घटनाएं अभी भी घटित हो रही हैं। स्थानीय निकाय RTE Act के तहत वैधानिक तौर पर जिम्मेवार हैं। विभाग ने मिड डे मील में बच्चों को बिठाने की व्यवस्था

4. बच्चों को लाने ले जाने वाले साधन ।

देश के सर्वोच्च न्यायलय और प्रदेश के माननीय हाईकोर्ट के दिशा–निर्देशों का अनुपालन अपरिहार्य है। बच्चों को ठूंस–ठूंस कर भरने की प्रवृति, यातायात नियमों को ताक में रखकर वाहनों का चलाना और वाहनों का नियमों के प्रतिकूल होना सब किसी न किसी दुर्घटना का कारण है। इन प्रवृतियों पर भी रोक अपेक्षित है।

5 लाईब्रेरी से सम्बन्धित कुछ अन्य मुद्दे विभाग के ध्यान में है जिन पर अलग से कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय,

सचिव शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश सरकार,

संख्या: दिनांकः शिमला–2 10th अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1 अतिरित सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला--2
2. उप– सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला--2

सचिव शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश सरकार,

Endst No 4449-54 MA-MC-I dt 20-4-2018
A copy is forwarded to:
(1) The SP, Una
(2) The SDM, Una/Amb/Bangana/Haroli
(3) The Dy Director Higher/Ele Education, Una
for further n/a please.

25/04/18
DDHE

for Deputy Commissioner
Una Distt. Una (H.P)